

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 130/2017

प्यारी केवा हरदेव शील बनाम 1. देवा पिता पाबू जी रेवारी नि. वंगार जी कोठेडा।
नि. वंगार जी कोठेडा 2. लाडु पिता मंगीलाल रेवारी नि. वंगार जी कोठेडा
शार्वीय 3. लालू पिता लक्ष्मण रेवारी नि. वंगार जी कोठेडा
विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक 15/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री प्यारी केवा हरदेव शील ने जरिये अभिभाषक
श्री राम गोपाल ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त
खाते की भूमि ग्राम वंगार जी कोठेडा तह0 पुलखी केडी माण्डलगढ मे आराजीन0
120, 121

किता 2 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा
विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे
साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी
की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त
आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत
शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर काई विपरीत प्रभाव नही पडता
है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0क्ट स्वीकार किया जाकर
ग्राम वंगार जी कोठेडा की आराजी न0 120, 121

रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने
के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है।
कमीशनर फीस ₹50 /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं
पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार,
माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

माण्डलगढ अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ जिला भीलवाडा